भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3583

उत्तर देने की तारीख -11/08/2025

सोमवार, 20 श्रावण, 1947 (शक)

राजस्थान में कौशल की कमी, बेरोजगारी और अल्परोजगार

†3583. श्री राहुल कस्वां:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में, विशेष रूप से चुरू जैसे अर्ध-शुष्क और कृषि-आधारित जिलों में, कौशल की कमी, बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की जिला-वार स्थिति का आकलन किया है;

(ख) क्या वर्ष 2022 के बाद से कोई नई जिला-केंद्रित कौशल और उद्यमशीलता पहल शुरू की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पिछड़े और ग्रामीण जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना सहित योजनाओं को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों की समीक्षा की है और तत्संबंधी समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार चुरू और आस-पास के जिलों में नए कौशल केंद्र, ग्रामीण कौशल विद्यालय या क्षेत्र- विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ङ) क्या सरकार युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास पहलों को स्थानीय उद्योगों और कृषि-संबंधी उद्यमों के साथ एकीकृत करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हाँ, तो राजस्थान में ऐसे उपायों की समय-सीमा, बजटीय आवंटन और प्रत्याशित परिणाम क्या हैं ?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) : राजस्थान सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित जिला कौशल समितियों (डीएससी) को जमीनी स्तर पर कौशल विकास और इसके कार्यान्वयन हेतु विकेन्द्रीकृत योजना को बढ़ावा देने हेतु जिला कौशल विकास योजनाएँ (डीएसडीपी) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।

ये डीएसडीपी, रोज़गार के अवसरों वाले क्षेत्रों के साथ-साथ जिले में कौशलीकरण की संबंधित माँग की पहचान करती हैं और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का मानचित्रण करती हैं। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम, विभिन्न क्षेत्रों में चिन्हित कौशल अंतरालों को पाटने के लिए डिज़ाइन और कार्यान्वित किए जाते हैं।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों(आईटीआई)के द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत राजस्थान के चुरू जिले सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस कौशल भारत मिशन (एसआईएम)का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से जुड़े कौशलों से सुसज्जित् करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है।

(ग) से (च): सीमित बुनियादी ढाँचे; कम जागरूकता; और गतिशीलता संबंधी कठिनाइयों जैसे मुद्दों के समाधान के लिए, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) के माध्यम से बेहतर निगरानी, लक्षित गतिशीलता और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं जैसे कदम उठाए गए हैं। पीएमकेवीवाई के तहत, प्रशिक्षण के अवसरों को और बढ़ाने के लिए ग्रामीण पहुँच और नियोक्ताओं की सहभागिता पर ज़ोर दिया जाता है। इसके अलावा, जून 2022 से, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (पीएमएनएएम) उम्मीदवारों को शिक्षुता प्रशिक्षण के अवसरों का लाभ उठाने में मदद करता है और प्रतिष्ठानों को संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने और शिक्षुओं के चयन में सहायता करता है। इसके अलावा, जागरूकता कार्यशालाएँ देश भर में विभिन्न हितधारकों के बीच योजना को बढ़ावा देने में सहायता करती हैं।

मंत्रालय कौशल विकास और स्थानीय उद्योगों, जिनमें कृषि से जुड़े क्षेत्र भी शामिल हैं, के बीच तालमेल को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में कृषि प्रसंस्करण, खाद्य उद्योग और ग्रामीण उद्यमों से संबंधित नौकरियों को प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, भावी कार्यबल की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने, कौशल की गुणवत्ता में सुधार लाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थानीय उद्योगों के अनुरूप बनाने के लिए एमएसडीई द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

i. एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के नेताओं के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास

आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल योग्यता मानकों का निर्धारण करने का दायित्व सौंपा गया है।

ii. उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली भविष्य के लिए तैयार नौकरियों को, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों को पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्राथमिकता दी गई है। सीटीएस के अंतर्गत भी, उभरती प्रौद्योगिकियों में भविष्य की नौकरियों की माँग को पूरा करने के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।

iii. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक के रूप में की गई है, जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम एवं मानक स्थापित करेगा।

iv. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज को उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करने और उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार चिन्हित व्यवसायों के साथ जोड़ने तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है।

v. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) लागू कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य आईटीआई छात्रों को औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

vi. डीजीटी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत संस्थानों के लिए उद्योग लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क (पूर्ववर्ती क्वेस्ट अलायंस), अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

vii. राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से जुड़े पाठ्यक्रमों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) और रोजगार कौशल के घटक भी शामिल हैं।

viii. एनएसडीसी, बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत, प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग की मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों में सहयोग और समन्वय करते हैं।

ix. एनएपीएस के अंतर्गत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षुता कार्यक्रमों के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ सहभागिता बढ़ाने को बढ़ावा दिया जाता है।

x. औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण(स्ट्राइव)योजना का कार्यान्वयन, यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एक परियोजना है जिसका उद्देश्य आईटीआई के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना है।

xi. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीओटी) के माध्यम से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

xii. स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पोर्टल कौशलीकरण, रोजगार और उद्यमिता इको सिस्टम के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में स्थापित किया गया है।

xiii. सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन और कौशलीकरण के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) की स्थापना हेतु राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योग द्वारा कौशलीकरण पर केंद्रित है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत धनराशि निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती है। जेएसएस योजना के अंतर्गत, धनराशि गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सीधे जारी की जाती है। एनएपीएस के अंतर्गत, प्रशिक्षुओं को, न कि संबंधित प्रतिष्ठानों को 1500/- रुपये प्रति माह तक का वजीफा डीबीटी के माध्यम से जारी किया जाता है। आईटीआई के माध्यम से कार्यान्वित सीटीएस योजना के संबंध में दैनिक प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के पास होता है।

राजस्थान राज्य में वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक (31.03.2025 तक) पीएमकेवीवाई, जेएसएस और एनएपीएस योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी धनराशि निम्नानुसार है-

(करोड़ रुपये में)

योजना	**जारी की गई धनराशि**
पीएमकेवीवाई	551.64
एनएपीएस	27.80
जेएसएस	23.64

******